सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5606 / 1041 / 2015 दिनांक:– 16.11.2016

के मामले में:

श्रीमती पूनम शर्मा, D507
फ्लैट संख्या – 92, ब्लाक–जी,
एस.बी.आई. आफिसर्स फ्लैट,
ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

कर्मचारी चयन आयोग, D508
द्वारा सचिव,
ब्लाक संख्या – 12, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 ..... प्रतिवादी संख्या 1

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
द्वारा – निदेशक (डीडी–III), D509
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
5वां तल, ब्लाक बी–1, बी– II, बी– III,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 .... प्रतिवादी संख्या 2

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, D510
द्वारा – सचिव,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001 .... प्रतिवादी संख्या 3

सुनवाई की तारीख: 21.10.2016

उपस्थित:–

सभी पक्षकार अनुपस्थित ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्रीमती पूनम शर्मा, जिनका पुत्र नभ शर्मा 75 प्रतिशत अस्थिबाधित है, ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके पुत्र को लेखक की सुविधा देने से मना करने से संबंधित शिकायत दिनांक 17.12.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि कि उनकें बेटे को लेफ्ट हेमिप्लेजिया है, जिसके कारण उसे लिखने में मुश्किल होती है । दिनांक 20.12.2015 को कम्बाइन्ड हायर

....2 / –

सेकेण्डरी लेवल (10+2) परीक्षा है । इनका आरोप है कि श्री नभ शर्मा को लेखक की सुविधा देने से मना कर दिया गया है जबकि बिना लेखक की सहायता से लिख नहीं पाएगा । श्रीमती शर्मा ने निवेदन किया है कि श्री नभ शर्मा को लेखक की सुविधा दिलाई जाए ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 17.12.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् इस न्यायालय के पत्र सम संख्या दिनांक 14.01.2016 को स्मरणपत्र भी जारी किया गया ।

4. स्मरण–पत्र दिनांक 14.01.2016 भेजे जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 से मामले में टिप्पणी प्राप्त नहीं होने पर सुनवाई दिनांक 21.10.2016 के लिए निर्धारित की गई ।

5. दिनांक 21.10.2016 को सुनवाई के दौरान पक्षकारों की ओर से कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के सम्मन दिनांक 04.10.2016 द्वारा तीव्र डाक से भेजा था । पक्षकारों की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

6. शिकायतकर्ता श्रीमती पूनम शर्मा अपराह्न में इस न्यायालय में उपस्थित हुई और दिनांक 21.10.2016 का पत्र प्रस्तुत किया तथा अनुरोध किया कि उसकी वर्तमान शिकायत को बन्द कर दिया जाए क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनके पुत्र को लेखक की सुविधा प्रदान कर दी गई है ।

7. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, चूंकि शिकायतकर्ता ने अपने मामले को बन्द करने का अनुरोध किया है क्योंकि उसकी शिकायत का समाधान हो गया है, इसलिए आदेश दिया जाता है कि इस मामले को बन्द कर दिया जाए ।

(डा.कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन